न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–39/2022

जगन साह एवं अन्य...वादीगण

बनाम

विरेन्द्र गिरी एवं अन्य...प्रतिवादीगण

DATE	**ORDER**	**REMARKS**
03.06.2026	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। वादी की ओर से दिनांक 21.05.2025 को अंदर दफा 151 व्य0प्र0सं0 के अन्तर्गत एक आवेदन दाखिल किया गया, जिसका प्रतिउत्तर प्रतिवादीगण की ओर से दिनांक 27.08.2025 को दाखिल किया गया। अभिलेख आज दिनांक 03.06.2026 को वादीगण के आवेदन पर आदेश हेतु नियत है। वादीगण के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते है कि उपरोक्त वाद, वादी साक्ष्य में चल रहा है और वादी के तरफ से वादी साक्षी सं0–02 नरायण महतो का शपथ पत्र दिनांक 16.04.2025 को न्यायालय में दाखिल है तथा गवाह का मुख्य परीक्षण के बाद प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा आंशिक प्रतिपरीक्षण किया गया वो गवाह को डेफर कर दिया गया। उक्त गवाह प्रतिवादीगण के मेल वो प्रभाव में आकर गवाही देने से इंकार कर गया। गवाह नरायण महतो वादी साक्षी सं0–02 प्रतिवादी के डर से गवाही देना नहीं चाहते है। ऐसी परिस्थिति में उक्त गवाह को एक्सपंज करना न्यायोचित है ताकि वादी दुसरा गवाह प्रस्तुत कर सकें। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादी साक्षी सं0–02 नारायण महतो की गवाही एक्सपंज कर वादी को दुसरा गवाह प्रस्तुत करने का आदेश देने की कृपा प्रदान करें। प्रतिवादीगण की ओर से वादीगण के आवेदन का प्रतिउत्तर दिनांक 27.08.2025 को दाखिल किया गया एवं निवेदन किया गया कि वादीगण का आवेदन दिनांक 21.05.2025 बिल्कुल गलत, दुर्भावनापूर्ण तथा मनगढ़न्त है। प्रतिवादीगण की ओर से वादी साक्षी सं0–02 को डराया, धमकाया नहीं गया है। वादीगण द्वारा गलत बयानात के साथ गलत वाद लाया गया है तथा इसी मानसिकता के तहत प्रतिवादीगण पर इस प्रकार के गलत आरोप आरोप लगाया जा रहा है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादीगण का आवेदन दिनांक 21.05.2025 को प्रतिवादीगण पर लगाए गए आरोप के संदर्भ में स्पष्टीकरण के रूप में रखने की कृपा की जाए। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वादीगण की ओर से एक आवेदन दिनांक 21.05.2025 को दाखिल किया गया एवं निवेदन किया गया	

न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–39/2022

जगन साह एवं अन्य..वादीगण

बनाम

विरेन्द्र गिरी एवं अन्य..प्रतिवादीगण

लगातार 03.06.2026	कि वादी साक्षी सं0–02 नारायण महतो की गवाही एक्सपंज कर वादी को दुसरा गवाह प्रस्तुत करने का आदेश देने की कृपा प्रदान करें। वादीगण का आवेदन सामान्य प्रकृति का प्रतीत होता है। वादीगण के आवेदन को स्वीकृत करने से वाद की प्रकृति पर कोई विपरीत असर पड़ता प्रतीत नहीं होता है और न ही इस आवेदन को स्वीकृत करने से प्रतिवादीगण को कोई अपूर्णीय क्षति होती प्रतीत हो रही है। अतः न्यायहीत में वादीगण का आवेदन दिनांक 21.05.2025 को स्वीकृत किया जाता है वादी साक्षी सं0–02 नारायण महतो की गवाही एक्सपंज किया जाता है तथा वादी को निर्देश दिया जाता है कि नारायण महतो के अलावा अन्य गवाह प्रस्तुत करें। वाद दिनांक 25.06.2026 को अग्रीम कार्रवाई वास्ते नियत किया जाता है। (लेखापित) अवर न्यायाधीश–1 नरकटियागंज	